संख्या–494/XV–1/1(48)/2007

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 23 सितम्बर, 2008

विषय :– **पशुचिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा सुविधा।**

महोदय,

आपके पत्र संख्या–34/नि0–5/बजट शल्य चिकित्सा/2008–09 दिनांक 03 अप्रैल, 2008 एवं शासनादेश संख्या–91/XV–1/1(48)/2007 दिनांक 11 फरवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में शल्य चिकित्सा कक्षों के निर्माण हेतु वित्त विभाग के तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा अनुमोदित आगणनों रुपया 108.53 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रुपया 35.03 लाख (रुपया पैंतीस लाख तीन हजार मात्र)** की धनराशि निम्न विवरणानुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर प्रादिष्ठ किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	टी०ए०सी० से अनुमोदित आगणन धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007–08 में निर्गत स्वीकृति	2008–09 हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति
1.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उधमसिंहनगर	20.57	13.51	7.06
2.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	15.69	5.00	10.69
3.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चम्पावत	14.61	5.00	9.61
4.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून	27.18	22.79	4.39
5.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार	30.48	27.20	3.28
	योग	**108.53**	**73.50**	**35.03**

(1) सामग्री का क्रय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित निर्देशों, क्रय सम्बन्धी शासनादेशों व स्टोर परचेज रुल्स के अन्तर्गत किया जायेगा, जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(2) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(10) स्वीकृत निर्माण कार्यो को तत्काल प्रारम्भ किया जाय ताकि आगणनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे, निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरुप लागत में वृद्वि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रुप से शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2– स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–00–101–पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य–09–पशुपालन विभाग में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य–24–बृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–20(P)XXVII-4/2008 दिनांक 18 सितम्बर, 2008 के कम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संख्या–५१५ (1)/xv–1/2007–तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
5. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून, पिथौरागढ़, चम्पावत, हरिद्वार, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. वित्त, अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
12. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव